राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

01 JUL 2019

क्रमांक : प.10(44)नविवि/3/2009पार्ट–1 जयपुर, दिनांक ....

परिपत्र

विभागीय परिपत्र क्रमांक प.10(44)नविवि/3/2009पार्ट–1 दिनांक 19.06.2013 द्वारा शहरी/नगरीय क्षेत्र में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के सहारे 500 मीटर की गहराई तक हाइवे डवलपमेन्ट कन्ट्रोल जोन प्रस्तावित किये जाने एवं इस जोन में अनुज्ञेय गतिविधियों एवं तकनीकी मानदण्ड बाबत आदेश जारी किये गये थे। सक्षम स्तर पर लिये गये निर्णय की पालना में उक्त आदेश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्थान उप क्षेत्रीय योजना में निर्धारित हाइवे कन्ट्रोल जोन में भी लागू किया जाता है।

उक्त जोन में आदेश दिनांक 19.06.2013 के अनुसार अनुज्ञेय गतिविधियों को इस आदेश में उल्लेखित तकनीकी मानदण्डो के तहत स्वीकृति देय होगी। भवन निर्माण स्वीकृति हेतु नगरीय क्षेत्र में लागू एकीकृत भवन विनियम – 2017 के भवन मानदण्ड एवं इन विनियमों के तहत समय–समय पर लागू आदेश/परिपत्र/अधिसूचना आदि के तहत देय भवन मानदण्ड लागू होंगे।

आज्ञा से

sd/-
(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव तृतीय

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परियोजना बोर्ड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान/एनसीआर।
6. निदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/भरतपुर/बीडा।
8. जिला कलक्टर, अलवर/भरतपुर।
9. वरिष्ठ उप–शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
10. रक्षित पत्रावली।

Manish ji
2/7

(हृदेश कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव तृतीय